**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत/सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2003" सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (संशोधन) नियमावली–2006 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली तथा बिहार कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–5152 दिनांक– 21.05.2013 में निहित प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने कॉलम–(5) में अंकित देय तिथि से सातवां वेतनमान में लेवल–8 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र0 | कर्मी का नाम/ वर्त्तमान पदस्थापन | जन्मतिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि | सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि | आ0नि0 संवर्ग में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने की तिथि/प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (अनुमान्य लेवल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री सुरज आजाद, आपूर्ति निरीक्षक, कोचाधामन, किशनगंज। | 05.01.1981<br>31.01.2041 | 01.01.2014<br>आपूर्ति निरीक्षक | 01.01.2024<br>01.07.2025<br>(सातवां वेतनमान में लेवल–8) |
| 2. | श्री अजीत कुमार, पणन पदाधिकारी, संदेश, भोजपुर। | 03.07.1982<br>31.07.2042 | 30.12.2013<br>आपूर्ति निरीक्षक | 30.12.2023<br>01.07.2024<br>(सातवां वेतनमान में लेवल–8) |
| 3. | श्री देवेन्द्र मंडल, सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक, बगहा–1, पश्चिम चम्पारण। | 02.02.1956<br>29.02.2016 | 21.04.1980<br>पर्यवेक्षक जनशिक्षा विभाग (आ0नि0–13.02.2006) | 13.02.2016<br>13.02.2016<br>(सातवां वेतनमान में लेवल–8) |
| 4. | श्री ब्रह्मदेव राम, सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक, झाझा, जमुई। | 20.01.1957<br>31.01.2017 | 22.01.1981<br>पर्यवेक्षक जनशिक्षा विभाग (आ0नि0–13.02.2006) | 13.02.2016<br>13.02.2016<br>(सातवां वेतनमान में लेवल–8) |

2. सूची क्रमांक–01 पर अंकित श्री सुरज आजाद, आपूर्ति निरीक्षक, कोचाधामन, किशनगंज के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक–5255 दिनांक–22.11.2022 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित रहने के फलस्वरूप इनके दंड का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है।

3. सूची क्रमांक–02 पर अंकित श्री अजीत कुमार, पणन पदाधिकारी, संदेश, भोजपुर के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक–4402 दिनांक–21.10.2021 द्वारा दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित रहने के फलस्वरूप इनके दंड का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है।

4. सभी नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त देय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय उन्नयन का मिलान संबंधित कर्मियों की सेवापुस्तिका से करने के पश्चात् ही अनुमान्य आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाए। त्रुटि परिलक्षित होने की स्थिति में अनुशंसा के साथ विभाग को प्रतिवेदित की जाए एवं एतद् संबंधी आदेश के फलस्वरूप यदि अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो इसकी वसूली संबंधित कर्मी से एक मुश्त की जाए ।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Nasim



D/Sec3,2023/nasim/MACP ACP/ACP MACP Aadesh/1st ACP Aadesh

ज्ञापांक– प्र03–(प्रो0)–04/2014(पार्ट–1) 1084 खाद्य/पटना, दिनांक –27/02/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ, पटना, तिरहुत एवं मुंगेर/उप निदेशक (खाद्य), पूर्णियाँ, पटना, तिरहुत एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, किशनगंज, भोजपुर, पश्चिम चम्पारण एवं जमुई/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, किशनगंज, भोजपुर, पश्चिम चम्पारण एवं जमुई/अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, आरा सदर, बगहा एवं जमुई/सभी संबंधित कार्यरत/सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–08 एवं 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र03–(प्रो0)–04/2014(पार्ट–1) 1084 खाद्य/पटना, दिनांक – 27/02/2026

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Nasim



D/Sec3,2023/nasim/MACP ACP/ACP MACP Aadesh/1st ACP Aadesh